



प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक: 27 अप्रैल, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-83 (एस0सी0एस0पी0) के अन्तर्गत कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना हेतु प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्राक-158/खा0ग्रा0बो0/प्रशि0अनु0कार्ययोजना पत्रा0/2026-27, दिनांक 20.04.2026 द्वारा प्रेषित सम्बन्धित कार्ययोजना अनुमोदित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत कौशल सुधार प्रशिक्षण योजना के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 770.00 लाख (रूपये सात करोड़ सत्तर लाख मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत निर्गत किये जाने एवं उसे निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0 के निर्वर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

नियम व शर्तें/ प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत धनराशि का आहरण एक मुश्त न कर, धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 तथा शासकीय व्यय में मितव्ययिता बरते जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस0सी0एस0पी0 के मानक/दिशा निर्देशों के अनुरूप व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि का लेखा महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज या उनके मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा जांच के लिए उपलब्ध रहेगा। यह लेखा कम्प्यूटर एण्ड आडिटर जनरल भारत सरकार या उनके द्वारा मनोनीत किसी अन्य अधिकारी द्वारा टेस्ट आडिट के लिए भी उपलब्ध रहेगा।
- (5) योजना अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग अनुसूचित जाति वर्ग के लाभार्थियों के प्रशिक्षण के लिए किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- (6) स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
- (7) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद के लिए स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय/उपयोग प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। इससे इत्तर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका उत्तरदायित्व योजनाधिकारी/विभागाध्यक्ष का होगा।
- (8) स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही व्यय की जायेगी। किसी प्रकार की विचलन की स्थिति में विभागाध्यक्ष स्वयं उत्तरदायी होगा।
- (9) कार्मिक विभाग प्रशिक्षण समन्वय प्रकोष्ठ के शासनादेश संख्या-1/1/2010-का-प्रसको.-2014, दिनांक 03 सितम्बर, 2014 एवं नियोजन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-363/35-1-2016-5/31(3)/85, दिनांक 02 जून, 2016 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित प्रशिक्षण दरों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (10) उक्त प्रशिक्षण के अन्तर्गत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी/प्रत्येक प्रशिक्षक का प्रत्येक सत्र का प्रतिदिन का डिजिटल फोटोग्राफ संरक्षित किया जायेगा तथा उनके मोबाइल नम्बर/आधार नम्बर भी संरक्षित किये जायेंगे।
- (11) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ गत वित्तीय वर्ष 2025-26 की प्रगति आख्या, अतिथि संकाय, मानदेय प्राप्त लाभार्थियों तथा मास्ट्र ट्रेनरों की सूची (मोबाइल नम्बर सहित) उपलब्ध करायेंगे।
- (12) सभी प्रशिक्षण कार्यक्रम खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्रों पर संचालित किये जायेंगे, अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रशिक्षणार्थियों के सुविधानुसार जिला मुख्यालय पर भी संचालित किये जायेंगे।
- (13) उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्राक-158/खा0ग्रा0बो0/प्रशि0अनु0/कार्ययोजना पत्रा0/2026-27, दिनांक 20.04.2026 में संलग्न की गयी सम्बन्धित कार्ययोजना के अनुसार ही व्यय किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 7,70,00,000 (रुपये सात करोड़ सत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या-083 लेखा शीर्षक 2851007890700 कौशल सुधार प्रशिक्षण मानक मद 27-सब्सिडी** के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-33/2026/210(1)/59-2-2026/001-1812591 तददिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 2- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
- 3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, लखनऊ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0, शासन।
- 6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
- 7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग4/
औद्योगिक विकास अनुभाग-2
- 8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 9- वित्त एवं लेखाधिकारी, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
- 10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुनील कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।